

दैनिक

रोकथोक लेखनी

खबरें बे-रोकथोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

विधानसभा स्पीकर ने तय की तारीख

शिवसेना MLAs की अयोग्यता याचिका पर जानें कब से शुरू होगी जिरह?

महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नावकर द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में जिरह 23 नवंबर से शुरू होगी. शिवसेना ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे प्रक्रिया में देरी करने की रणनीति करार दिया है. वहीं तय कार्यक्रम के अनुसार जिरह सप्ताह में दो बार की जाएगी.



उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके करीबी शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सीमा के बारे में एक सप्ताह के भीतर बताएं. न्यायालय ने कहा था कि उचित समय

के भीतर याचिकाओं पर निर्णय लेने के निर्देश के बावजूद स्पष्ट रूप से अब तक कुछ भी नहीं किया गया है. पिछले साल शिंदे और 39 विधायकों के मूल पार्टी से अलग होने के बाद शिवसेना के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों ने एक-दूसरे के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी.

शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना

गुट ने जून, 2022 में महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से हाथ मिला लिया था. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने तीखी आलोचना की है. शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री अनिल परब ने इसे देरी की रणनीति

बताया और कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं की सुनवाई एक महीने के भीतर पूरी कर सकते हैं.

अनिल परब ने कहा कि मामले में कई घटनाक्रम स्वीकृत तथ्य हैं इसलिए सुनवाई में देरी का कोई कारण नहीं है. उन्होंने कहा, ह्यएक महीने में मामला खत्म हो

जाना चाहिए. ये हमारा अनुरोध है. जब भी यह कार्यक्रम उच्चतम न्यायालय के सामने रखा जाएगा, हम अपने विचार रखेंगे. उन्होंने कहा कि 23 नवंबर के बाद राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र होगा इसलिए उस दौरान भी सुनवाई नहीं होगी. अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में विधायक सुनील प्रभु ने जून 2022 में मूल पार्टी में विभाजन के बाद पिछले साल शिंदे और उनके करीबी 15 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी. इस साल 11 मई को उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

जबरन जय श्री राम बोलवाने का दबाव, मना करने पर मारपीट...



मुंबई: मुंबई के कादिवली पूर्व के गोकुलनगर इलाके में एक मराठी युवक की चार लोगों ने पिटाई कर दी। आरोप है कि जय श्रीराम बोलने से इनकार करने पर मराठी युवक की पिटाई कर दी गई। इस मामले में सिद्धार्थ अंगुरे नाम के युवक ने कुरार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुरार पुलिस के मुताबिक, सिद्धार्थ अंगुरे कादिवली पूर्व में महिंद्रा कंपनी में कार्यरत हैं। वह अपने परिवार के साथ कुरार में रहते हैं। मंगलवार रात करीब साढ़े ग्यारह बजे वह काम से घर से निकले थे। सिद्धार्थ अंगुरे अपने भाई से फोन पर बात कर रहे थे। तभी उन्हें गोकुलनगर कादिवली ईस्ट में चार लोगों ने रोका।

गाली-गलौज और मारपीट की सिद्धार्थ अंगुरे ने चारों लोगों को रोकने का कारण पूछा। तभी चार लोगों में से एक उनके पास आया और जय श्री राम बोलने को कहा। तो दूसरे शख्स ने जय श्री राम का उद्धोष किया और अंगुरे को उसके बाद बोलने के लिए कहा। उस समय अंगुरे ने उन चार लोगों को घर जाने देने के लिए कहा। इसी दौरान आरोपी सूरज तिवारी, अरुण पांडे, राजेश रिक्शावाला और पांडे ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज और मारपीट की।

पूर्व सांसद समीर भुजबल को प्रतिद्वंद्वी राकांपा की मुंबई इकाई का प्रमुख नियुक्त

मुंबई: एक अधिकारी ने बुधवार को यहां बताया कि वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद समीर मगन भुजबल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) से अलग हुई इकाई की मुंबई इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समीर भुजबल राज्य के मंत्री छगन भुजबल के भतीजे हैं और उनकी नियुक्ति की घोषणा राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने की। पवार ने कहा कि समीर भुजबल पिछले 25 वर्षों से



चुपचाप पार्टी को खड़ा करने के लिए मंच के पीछे से काम कर रहे हैं और अब मुंबई में इसके विस्तार का काम करेंगे जिसे काफी हद तक नजरअंदाज किया गया था। पवार ने कहा, "हमें एक अनुभवी और दूरदर्शी युवा नेता मिला है और शहर पर अधिक ध्यान

देकर वह मुंबई में क्रांति ला देंगे।" समीर भुजबल, जिन्होंने मुंबई के साथ-साथ अपने गृह नगर नासिक में भी बड़े पैमाने पर काम किया है - जिसका उन्होंने 2009-2014 तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था - ने एनसीपी को शुरूआती दिनों में मजबूत आधार देने में छगन भुजबल के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी नियुक्ति से महत्वपूर्ण नागरिक, लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की राजधानी में पार्टी की किस्मत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मुंबई के जुहू में गणपति विसर्जन के दौरान युवक पर गिरी बिजली



मुंबई: मुंबई के जुहू बीच पर गणपति विसर्जन के दौरान एक युवक पर बिजली गिरने की घटना सामने आई है। फिलहाल उसे इलाज के लिए विले पार्ले वेस्ट स्थित कूपर अस्पताल ले जाया गया है।

मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। देश की आर्थिक राजधानी

मुंबई में इस समय गणेश विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में लोग घरों से बहार निकलकर बप्पा के विसर्जन में हिस्सा ले रहे हैं। पूरे राज्य में गणेश विसर्जन चल रहा है। मुंबई में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं कई गणेश मंडल भगवान गणेश को विसर्जित करने के लिए समुद्र तट पर आने लगे हैं।

'बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो देना होगा जवाब...', पंकजा मुंडे ने दी पार्टी को चुनौती? कहा- ये अच्छा नहीं होगा

मुंबई: बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने बुधवार को कहा कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वास्ते उन्हें टिकट नहीं देना किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छा निर्णय नहीं होगा. राज्य की पूर्व मंत्री मुंडे एक समाचार चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, "मेरी पार्टी मुझे क्यों चुनाव में नहीं उतारेगी..मुझे जैसे उम्मीदवार को चुनाव में टिकट नहीं देना किसी

भी पार्टी के लिए कोई अच्छा निर्णय नहीं होगा. यदि वे ऐसा निर्णय लेते हैं तो उन्हें लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना होगा."

पंकजा मुंडे ने क्या कहा ?

पंकजा को 2019 में उनके चचेरे भाई और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने पाली विधानसभा सीट पर हरा दिया था. पंकजा ने यह भी कहा कि वह नया निर्वाचन क्षेत्र नहीं खोज रही हैं. उन्होंने अपनी बहन



लोकसभा सदस्य प्रीतम मुंडे की जगह लेने की संभावनाओं को भी खारिज कर दिया.

बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने बुधवार को कहा कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें टिकट नहीं देना किसी भी पार्टी के लिए अच्छा निर्णय नहीं होगा. एनसीपी नेता सुप्रिया सुले द्वारा उनके बारे में की गई सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियों पर पंकजा मुंडे ने कहा, ह्यशायद वह अब भी उसी दौर से गुजर रही हैं जिससे मैं करीब 10-12 साल पहले गुजरी थी. ह्यविशेष रूप से, धनंजय मुंडे

अब एनसीपी के अजित पवार गुट के साथ हैं, जिसने शरद पवार के खिलाफ बगावत की थी, और शिवसेना-बीजेपी-एनसीपी सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं. बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने मंगलवार को पुष्टि की कि उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक सहकारी चीनी मिल को जीएसटी विभाग से नोटिस मिला है. महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री यहां संवाददाताओं से बात कर रहे थे.

संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

दोहरा रवैया ठीक नहीं

आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जिस तरह से कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बगैर किसी ठोस सबूत के भारत पर आरोप लगा दिया और उसके बाद अमेरिका ने जांच में सहयोग का राग अलाप कर भारत को परोक्ष नसीहत देने की कोशिश की, वह अंतरराष्ट्रीय हलकों में किसी से छुपा नहीं है। विदेशमंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से मंगलवार को दिए अपने भाषण में बड़ी बारीकी

से उन सभी सवालों को संबोधित किया, जो इस सिलसिले में उठ रहे थे। उन्होंने मंच की सीमाओं का खयाल रखते हुए न केवल भारत का पक्ष स्पष्ट किया बल्कि अन्य देशों को भी उनकी सीमाओं का अहसास कराया। विदेश मंत्री ने साफ कहा कि अब वह दौर नहीं रहा जब कुछ देश मिलकर दुनिया का अजेंडा सेट करें। जयशंकर ने भले ही कनाडा या किसी अन्य देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों से साफ था कि वह किस ओर इशारा कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी के मन में कोई संदेह रह गया हो तो न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरिन रिलेशंस में हुई चर्चा के दौरान वह भी साफ हो गया। वहां उन्होंने साफ-साफ कहा कि कनाडा अगर कोई ठोस और सटीक सबूत देता है, तो भारत निश्चित रूप से उस पर विचार करेगा, लेकिन वहां पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियां बढ़ी हैं, संगठित अपराध बढ़ा है, उससे जुड़ी भारत की चिंताओं का क्या? वहां भारतीय राजनयिकों को धमकियां दी जाती हैं, भारतीय कॉन्सुलेट पर हमला होता है और उनके लिए जिम्मेदार तत्वों के बारे में पूरी सूचना मुहैया कराए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, उल्टे उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हवाला दिया जाता है। ऐसी स्थिति कैसे मंजूर की जा सकती है?

रही बात अमेरिका की तो हाल के वर्षों में उसके साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्तों में जो करीबी आई है और जिस तरह से दोनों देशों में सामरिक भागीदारी बढ़ी है, उसका ध्यान रखना दोनों पक्षों के लिए जरूरी है। संभवतः इसी वजह से विदेश मंत्री जयशंकर इस पर अभी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कह रहे। लेकिन जहां तक अकाउंटेबिलिटी पर जोर देने की बात है तो यह नियम सबके लिए होना चाहिए। और भारत के बारे में तो अभी सिर्फ आरोप है, वह भी ऐसा जिसका कोई ठोस आधार भी सामने नहीं आया है, जिस देश की सरकार ने आरोप लगाया है, वहां जांच तक पूरी नहीं हुई है, पर जिन देशों पर अन्य राष्ट्रों की संप्रभुता और सीमाओं का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई करने के मामले ज्यादा ठोस

रूप में सामने आ चुके हैं उन पर चुप्पी क्यों? क्या यह अजीब नहीं है कि जिम्मेदारी तय करने का यह जोश सिर्फ भारत के मामले में दिखाया जा रहा है? जयशंकर ने सही कहा कि आतंकवाद से जुड़े ऐसे मामलों पर आज भी कई देश दोहरा रवैया अपना रहे हैं, जो उचित नहीं।



व्हाट्सएप पर दैनिक रोकठोक लेखनी समाचार पत्र चैनल को फॉलो करें

+91 99877 75650

editor@rokhoklekhaninews.com

Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

भिवंडी में विसर्जन पर ड्रोन की नजर, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात चाक चौबंद इंतजाम, एस आर पी के अलावा दंगा नियंत्रण पथक के जवान सुरक्षा में मुस्तैद

विसर्जन घाटो, रास्तों पर सुरक्षा हेतु 67 सीसीटीवी कैमरो के अलावा ड्रोन से निगरानी

मुस्तकीम खान

भिवंडी : अतिसंवेदनशील शहर भिवंडी में गणेश विसर्जन व ईद ए मिलादुन्नबी को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किया है जिसके तहत विसर्जन मार्गों व घाटों पर जहां शहर भर में जहां कुल 67 सीसीटीवी लगाए गए हैं। वहीं ड्रोन कैमरे द्वारा विसर्जन घाटों पर नजर रखी गई है इसके अलावा सुरक्षा के लिए बड़ी तादात में पुलिस कर्मियों के साथ एस आर पी के साथ दंगा नियंत्रण पथक, रैपिडैक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है।



व पुलिस द्वारा जोरदार इंतजाम किया गया है। भिवंडी के पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढवले ने बताया कि इसके लिए यहां सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए शहर व बाहर से मांगकर कुल 750 पुलिसकर्मियों को यहां तैनात किया गया है जिसमें दो सहायक पुलिस आयुक्त के अलावा 20 पुलिस निरीक्षक, 55 सहायक पुलिस निरीक्षक

व पुलिस उपनिरीक्षक सहित, 58 नवनियुक्त पुलिस कर्मियों के अलावा 130 होमगार्ड को भी ड्यूटी पर तैनात किया गया है इसके साथ ही किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए एसआरपी की 5 प्लाटून, दंगा नियंत्रण पथक की तीन प्लाटून के साथ आरसीपी की एक प्लाटून को तैनात किया गया है। इसके साथ डीसीपी ने बताया कि अपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को बड़ी संख्या में 149 की नोटिस दिया गया है ताकि शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे पुलिस उपायुक्त ढवले ने बताया कि इसके अलावा उन्होंने ने पूरे शहर पर 24 घंटा नजर रखने के लिए शहर भर में कुल 67 सीसी कैमरे मनापा की सहयोग से लगाए गए हैं जिसमें से

20 कमरे विसर्जन घाटों पर जबकि 47 कैमरों को शहर के प्रमुख चौराहे, प्रवेश द्वार की मुख्य सड़कों, गणेश मूर्ति विसर्जन मार्ग पर लगाकर विशेष कंट्रोल रूम द्वारा शहर के चप्पे-चप्पे की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी गई है साथ ही वराल देवी तालाब व नदी नाका विसर्जन घाट पर दो ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई है जिसकी निगरानी डीसीपी खुद करेंगे। इसके साथ ही उनके अंडर में शहर भर में 50 पुलिस कर्मी सादे वर्दी में तैनात रहेंगे साथ ही सारे पुलिस कर्मियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। डीसीपी ने बताया कि विसर्जन के दिन सभी मुख्य प्रवेश मार्गों को बंदकर सड़कों पर नो पार्किंग जोन बनाया गया है।

अदाणी पोर्ट्स 195 मिलियन डॉलर के बांड वापस खरीदेगी



मूल राशि के कुल 130 मिलियन डॉलर नकद में वापस खरीद लिया था और कहा था कि वह अगली चार तिमाहियों में से प्रत्येक में बांड की मूल राशि का 20% वापस खरीदेगी। इसकी दूसरी किश्त में कंपनी अब 195 मिलियन डॉलर तक के बांड खरीदने का प्रस्ताव कर रही है। यह बांड की मूल राशि (\$650 मिलियन) का 30% दशार्ता है। मई में \$130 मिलियन बायबैक के बाद, \$520 मिलियन बकाया रह गया।

मुंबई : अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2024 में देय 195 मिलियन डॉलर का कर्ज समय से पहले चुका देगा, क्योंकि गौतम अडानी द्वारा संचालित समूह एक अमेरिकी शॉर्ट-सेलर द्वारा लक्षित किए जाने के बाद निवेशकों का विश्वास बढ़ाना चाहता है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में, अदारे ने कहा कि वह अपने नकदी भंडार का उपयोग करके 2024 में देय 195 मिलियन डॉलर के बांड वापस खरीदेगी। इसमें कहा गया है कि 520 मिलियन डॉलर के मूल बकाया में से 325 मिलियन डॉलर बायबैक के बाद बचे रहेंगे।

कंपनी बोर्ड ने "2024 तक बकाया 3.375 प्रतिशत वरिष्ठ नोटों की कुल मूल राशि में 195 मिलियन डॉलर तक की नकद खरीद के लिए निविदा प्रस्ताव की किश्त कर को मंजूरी दे दी है, जो नोटों की मूल राशि का 30 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है," यह कहा। मई में, कंपनी ने अपने जुलाई 2024 के बांड को

जाली मुद्रा मामले में एनआईए द्वारा आरोपपत्र में नामित 4 लोगों में से एक नामित आतंकवादी

ठाणे: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने ठाणे नकली मुद्रा मामले में एक नामित आतंकवादी सहित चार लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है, एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा।

अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत बुधवार को मुंबई की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। संघीय एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि नामित आतंकवादी - चाचा उर्फ "जावेद पटेल" उर्फ "जावेद चिकना" के अलावा, आरोपपत्र में शामिल लोगों की पहचान रियाज शिकिलकर, मोहम्मद फैयाज शिकिलकर और नासिर चौधरी के रूप में की गई है, जो सभी मुंबई के निवासी हैं। अधिकारी ने कहा कि फैयाज पर शस्त्र अधिनियम के तहत भी आरोप लगाया गया है। अप्रैल 2022 में दायर आरोपपत्र में 3 अभियुक्तों का नाम ठाणे पुलिस ने पिछले साल अप्रैल में इस मामले में

तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जो मूल रूप से रियाज शिकिलकर के पास से 2,000 रुपये के 149 उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय मुद्रा नोटों की जब्त के बाद दर्ज किया गया था।

इसके बाद एनआईए ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। अधिकारी ने कहा कि जांच के बाद मई में फयाज को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जांच में यह भी पता चला कि फैयाज व्हाट्सएप के माध्यम से नामित आतंकवादी 'अंकल' के संपर्क में था और उसने भारत में गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची थी। उसे अपने सहयोगी 'भाई' के माध्यम से 'अंकल' द्वारा भेजे गए धन भी प्राप्त हुए थे। प्रवक्ता ने आरोप पत्र का हवाला देते हुए कहा, "चाचा, एक वांछित आरोपी, ने भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय मुद्रा नोटों को रखने और प्रसारित करके अपने सहयोगियों के माध्यम से आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिया था।"





महाराष्ट्र भाजपा सांसद राणे के कॉलेज द्वारा आवंटित सीटों पर प्रवेश देने से इनकार करने पर मेडिकल अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई

मुंबई: विभिन्न हाशिये के समूहों से संबंधित चार मेडिकल उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि सिंधुदुर्ग में एक निजी मेडिकल कॉलेज ने उन्हें विभिन्न संदिग्ध कारणों से आवंटित प्रवेश से वंचित कर दिया है। जिले के कुडाल तालुका में सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडल (एसएसपीएम) मेडिकल कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना और संचालन भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किया था, जिन्होंने आरोपों से इनकार किया है। एमबीबीएस प्रवेश के पहले रिक्ति दौर में उम्मीदवार, जो क्रमशः अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणियों से हैं। हालांकि, जब वे मंगलवार को सिंधुदुर्ग पहुंचे, तो कॉलेज अधिकारियों ने किसी न किसी बहाने से उनकी सीटों की पुष्टि करने से इनकार कर दिया, ऐसा छात्रों ने आरोप लगाया। प्रवेश प्रक्रिया से बाहर होने के कारण इन अभ्यर्थियों

को एक साल का नुकसान होगा। 'कमजोर आधार पर सीटें देने से इनकार' मुंबई की एक ईडब्ल्यूएस छात्रा को उसके परिवार की ईडब्ल्यूएस और आय प्रमाण पत्र में बताई गई वार्षिक आय में अंतर के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। छात्र की यह दलील कि अंतर केवल 1 लाख रुपये के आसपास है और दोनों दस्तावेजों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आवश्यक 8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय का संकेत दिया गया है, अनसुना कर दिया गया। 'कॉलेज के अधिकारियों ने मुझसे बेवजह प्रवेश के लिए किए गए प्रयासों की संख्या और मेरे बैंक बैलेंस के बारे में पूछा। जब मैंने जवाब दिया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस कोर्स को करने के लायक नहीं हूँ और अगर मुझे दाखिला दिया गया तो कॉलेज अपनी प्रतिष्ठा खो देगा।', 'छात्र ने दावा किया। कल्याण की एक एसटी उम्मीदवार को भी लौटा दिया गया क्योंकि वह कॉलेज के छात्रावास और मेस की फीस और विभिन्न



जमाओं का एक हिस्सा चुकाने के लिए डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के बजाय एक चेक लेकर आई थी। 'हमें शनिवार को सीटें आवंटित की गईं और उनकी पुष्टि करने के लिए मंगलवार तक का समय था। चूंकि रविवार को बैंक बंद थे, इसलिए हमें सोमवार को डीडी बनवाना पड़ा ताकि हम मंगलवार तक सिंधुदुर्ग की यात्रा कर सकें। चूंकि मेरे पास कोई सीट नहीं है।' एक राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होने के कारण, मुझे इतनी बड़ी राशि का डीडी नहीं मिल सका।

जबकि नियम चेक और डीडी दोनों की अनुमति देते हैं, कॉलेज ने केवल बाद वाले पर जोर दिया,

उसने कहा। एससी और एसटी उम्मीदवारों को कोई ट्यूशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों को 50% छूट मिलती है। हालांकि, उन्हें विभिन्न अन्य मर्दों के तहत भुगतान करना होगा। सीट बेचने के आरोपों के बीच मंत्री ने कॉलेज का बचाव किया दूसरी ओर, राणे ने दावा किया कि उम्मीदवारों को उनकी प्रस्तुति में कमियों के कारण प्रवेश नहीं मिल सका।

'हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। छात्रों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने और निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने की आवश्यकता होती है। लेकिन वे

मंगलवार तक ऐसा नहीं कर सके। एक बार छात्रों को सीट आवंटित हो जाने के बाद, हम उन्हें वंचित नहीं कर सकते उनमें से,' उन्होंने कहा। अर्द्ध र्षी - प्रतिबंध चोरी के आरोपों के बीच एनजीटी ने ठाणे खाड़ी में पीओपी गणेश मूर्ति विसर्जन पर सख्त आदेश जारी किए राणे ने कहा, 'हम अपनी 150 सीटें नहीं भर पाए हैं। हम किसी को प्रवेश देने से इनकार क्यों करेंगे? हर छात्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम मानदंडों का उल्लंघन करते हैं तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) हमें जवाबदेह ठहराएगा।'

चूंकि वे विभिन्न राउंड की सीटों की पुष्टि करने में असमर्थ थे, इसलिए उम्मीदवारों को अब प्रवेश प्रक्रिया से हटा दिया गया है और वे अंतिम संस्थागत राउंड के लिए अयोग्य हैं, जहां कॉलेजों को अपनी रिक्त सीटें स्वयं भरने की आवश्यकता होती है। इस वर्ष मेडिकल प्रवेश के लिए उपलब्ध 7,334 सीटों में से 141 सीटें (85 राज्य कोटा और 56 प्रबंधन

कोटा) अभी भी उपलब्ध हैं। सीईटी सेल ने अब राज्य चिकित्सा प्रवेश और अनुसंधान निदेशालय (डीएमईआर) से शिकायत की जांच करने का अनुरोध किया है।

सीईटी सेल के एक अधिकारी ने कहा, 'इन छात्रों के भाग्य का फैसला डीएमईआर द्वारा अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के बाद किया जाएगा।' यह पहली बार नहीं है जब एसएसपीएम कॉलेज पर सीटें न देने के आरोप लगे हों। सेल को पिछले साल एक अभ्यर्थी से ऐसी ही शिकायत मिली थी, लेकिन अधिकारियों को कॉलेज में कोई गलती नहीं मिली। 'एसएसपीएम कॉलेज बार-बार अपराधी रहा है। इन छात्रों को मामूली आधार पर प्रवेश से वंचित कर दिया गया है। कॉलेज अक्सर सीटें रोक लेते हैं ताकि उन्हें संस्थागत दौर में बहुत अधिक कीमत पर बेचा जा सके। सरकार को ऑफलाइन को खत्म करना चाहिए प्रवेश और पूरी प्रक्रिया को केंद्रीय रूप से संचालित करें,' शहर स्थित चिकित्सा शिक्षा परामर्शदाता सुधा शेनॉय ने कहा।

अवैध बंगलों के खिलाफ कार्रवाई रोके जाने का विरोध करते हुए, शिकायतकर्ता भूख हड़ताल पर

ठाणे : ठाणे मनपा प्रशासन ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर येऊर क्षेत्र में बने सात अवैध बंगलों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई रोक दी है। पिछले दो दिनों से चल रही कार्रवाई में जहां दो बंगले तोड़े गए, वहीं तीसरे बंगले पर आंशिक कार्रवाई की गई है। कार्रवाई रोके जाने का विरोध करते हुए शिकायतकर्ता ने इन सभी बंगलों पर कार्रवाई की मांग को लेकर येऊर में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। शहर में चर्चा है कि राजनीतिक दबाव के कारण यह कार्रवाई रोकी गई है।

बता दें कि ठाणे शहर का येऊर इलाका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में आता है। पिछले कुछ सालों में इस इलाके में बड़ी संख्या में अवैध ढाबे और बंगले खड़े हो गए हैं। इसी तरह, ठाणे मनपा के पूर्व शिक्षा मंडल के अध्यक्ष ने भी इस क्षेत्र में सात अवैध बंगले बनाए हैं। इस अवैध निर्माण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता योगेश मुंदड़ा ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। इस मामले में लोकायुक्त से भी शिकायत की गई थी।

मुंबई-नासिक हाईवे पर एक के बाद एक 5 वाहनों को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर दुर्घटना में रिक्शा चालक सहित दो घायल, पुलिस ने फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी



मुस्तकीम खान भिवंडी : मुंबई नासिक हाईवे पर भिवंडी तालुका अंतर्गत आने वाले येवई नाके पर तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क क्रॉसिंग के लिए खड़े एक के बाद एक 5 वाहनों को उड़ा दिया, जिसके कारण कई वाहनों के परखच्चे उड़ गए इस दुर्घटना में एक रिक्शा चालक और एक दोपहिया वाहन चालक घायल हो गए इधर पुलिस ने इस मामले में फरार ट्रक चालक पर केस दर्ज कर उसकी सरगमी से तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुंबई नासिक हाईवे पर येवई क्रॉसिंग नाके पर सोमवार 25 सितंबर की रात करीब 9 बजे सड़क क्रॉस कर भिवंडी की तरफ जाने के लिए एक बाइक, अल्टो कार, स्कार्पियो, आयसर टेंपो व ऑटो रिक्शा सहित पांच वाहने खड़ी

थी इसी दरम्यान तेज गति से नासिक की तरफ से आ रही आयसर ट्रक नंबर जीजे 16 एबी 5208 ने यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए सबसे पीछे खड़ी आयसर टेंपो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया जिसके कारण एक के बाद एक करके पांचों वाहने आपस से जा भिड़ी इस हादसे में रिक्शा बुरी तरह छतिग्रस्त हो गया इस हादसे में रिक्शा चालक याकूब वाहिद कुरेशी 44 (कल्याण) व बाइक सवार कुंदन रमेश सेन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची भिवंडी तालुका पुलिस ने फरार ट्रक चालक पर दुर्घटना के विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

गोवंडी के पूर्व निर्दलीय नगरसेवक मोहम्मद सिराज बेगुनाह साबित होकर आर्थर रोड जेल से रिहा...

मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) गोवंडी शिवाजीनगर के पूर्व निर्दलीय नगरसेवक मोहम्मद सिराज झूठे बलात्कार मामले में चार वर्षों से जेल में बंद कोर्ट ने बेगुनाह साबित करके आज आर्थर रोड जेल से रिहा हुए। जिसमें मुंबई आर्थर रोड जेल के बाहर पूर्व नगरसेवक मोहम्मद सिराज के समर्थक बड़ी संख्या में जेल के बाहर मोहम्मद भाई जिंदाबाद कहते दिखाई दिए। इतना ही नहीं सोशल मीडिया में वायरल होते हुए एक वीडियो में काफी लोगो की भीड़ मोहम्मद सिराज को कंधे पर बैठाकर पठाके ढोल नगाड़ों के बीच फूल माला पहनाकर सत्कार किया।



उल्लेखनीय तौर पर कहा जाता है की राजनीतिक साजिश के तहत मोहम्मद सिराज को बलात्कार के झूठे केस में फंसाकर सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों ने अपना राजनीतिक कांटा साफ किया है। लेकिन राजनीतिक पंडितों के अनुसार मोहम्मद पिछला 2017 का बीएमसी चुनावो निर्दलीय अपनी घर घर मतदाताओं के बीच लोकप्रियता

के कारण चुनावों जीतकर आया था। ठीक उसी तर्ज पर आगामी मुंबई मनपा चुनावों में भी भरी मातो से सत्ताधारी सपा उम्मीदवारों को करारी शिकस्त देने की अभिन्न ही कयास लगाई जा रही हैं। मोहम्मद को सपा विधायक अबू आसिम आजमी का चिरप्रतिध्वंभी माना जाता है। बताया जाता है कि लाख झुकाने के बाद भी निर्दलीय नगरसेवक मोहम्मद सिराज ने अबू आसिम आजमी के सामने घुटने नहीं ठेके।

शिक्षिका से अश्लीलता करने व धमका कर शारीरिक सुख मांगने वाला शिक्षक आखिरकार निलंबित...

महिला ने शिक्षक पर दर्ज कराया था छेड़छाड़ का केस, आयुक्त ने छह माह बाद लिया एक्शन

मुस्तकीम खान
भिवंडी : भिवंडी मनपा स्कूल क्रमांक 12 में कार्यरत एक शिक्षक द्वारा साथी महिला शिक्षिका को धमकाकर अश्लीलता करने के सात शारीरिक सुख की मांग करने के कारण आखिरकार आयुक्त ने छह माह बाद निलंबित कर दिया है जिस पर छेड़छाड़ का केस दर्ज कराने के बाद शिक्षिका ने आयुक्त से न्याय की गुहार लगाया था जो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल भिवंडी मनपा स्कूल क्रमांक 12 में कार्यरत एक शिक्षिका ने निजामपुर पुलिस स्टेशन में सीआर क्रमांक

157/2023 में चार मई 2023 को इसी स्कूल में कार्यरत शिक्षक नबील अब्दुल हमीद मोमिन (42) पर आईपीसी की धारा 354, 354 (अ) और 506 के तहत केस दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाया था कि पिछले एक वर्ष से वह उसे अश्लील इशारे कर रहा था साथ ही शिक्षक स्कूल इमारत की सीढ़ियां चढ़ते-उतरते उसे जान बूझकर अनचाही अश्लील स्पर्श करने के साथ उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता था। 18 मार्च 2023 को 11.30 बजे वह स्कूल के शौचालय में पीड़िता महिला शिक्षक



नबील मोमिन

को अकेली पाकर उसे पीछे से पकड़ लिया और उससे शारीरिक सुख की मांग की थी जिसके विरोध में महिला

शिक्षिका ने शिक्षक को थप्पड़ रसीद कर दिया था जिससे आक्रोशित होकर शिक्षक ने शिक्षिका को धमकाया कि

उच्च अधिकारियों और राजनेताओं से उसके अच्छे संबंध हैं, वह उसे नौकरी से निकलवा देगा। शिक्षिकायत के बावजूद इस मामले में आरोपी शिक्षक ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लेने के कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी जिसके बाद महिला शिक्षिका ने शिक्षक के प्रताड़ना की शिकायत मनपा के शिक्षण विभाग की उपायुक्त व आयुक्त से करते हुए न्याय की गुहार भी लगाया था।

विशाखा समिति की जांच के बाद आयुक्त ने लिए एक्शन
आखिरकार महिला की शिकायत के बाद मनपा प्रशासन

द्वारा इस मामले की जांच करने की जिम्मेदारी विशाखा समिति को सौंपी गई थी। समिति ने इस मामले में कई बाद नोटिस जारी कर आरोपी शिक्षक को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन शिक्षक नोटिस पाने के बाद भी समिति के समक्ष हाजिर नहीं हुआ। लगातार गैर हाजिर रहने के बाद मनपा आयुक्त अजय वैद्य ने आरोपी शिक्षक नबील अब्दुल हमीद मोमिन को निलंबित कर दिया गया है। पालिका आयुक्त अजय वैद्य के इस फैसले का शहरवासियों ने स्वागत किया है।

२० दिनों में ९,८०७ अवैध बैनर और पोस्टर हटाए....

मुंबई : मनपा ने पिछले २० दिनों में ९,८०७ अवैध बैनर और पोस्टर हटाए हैं। कुल हटाए गए बैनरों में ४,९१९ धार्मिक बैनर थे, ३,५६६ राजनीतिक बैनर थे और ६०८ व्यावसायिक प्रकृति के बैनर थे। मनपा के अधिकारियों ने बताया कि अंधेरी-पूर्व (के ईस्ट वॉर्ड) में सबसे अधिक ९०९ पोस्टरों को हटाया गया, इसके बाद कुर्ला (एल वॉर्ड) में ८०७ और बांद्रा-पूर्व (एच ईस्ट वॉर्ड) में ७९० पोस्टर हटाए गए। केवल ३३ बैनर, सबसे कम दादर और माहिम (जी नॉर्थ वॉर्ड) में हटाए गए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि अगर पुलिस रात में निगरानी रखे तो अवैध बैनर नहीं लगेंगे, लेकिन पुलिस अपना काम नहीं कर रही है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जबरन ये बैनर लगा दिए हैं। जब मनपा अधिकारी उसे हटाने जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना पुलिस सुरक्षा के हमारे अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने पर पीटा जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले सरकारी निदेशों पर काम नहीं करते हैं तो उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया जाता है। अधिकारी ने आगे कहा कि इस कार्रवाई में बैनर लगाने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं हुई है।

बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक का आधार नहीं



मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने माना है कि कोई भी व्यक्ति हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत इस आधार पर तलाक नहीं मांग सकता है कि उसके पति या पत्नी को 'मिर्गी' है और इसे 'मानसिक विकार या मनोरोगी विकार' नहीं माना जा सकता है। न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति एस ए मेनेजिस की खंडपीठ ने 26 सितंबर को फैमिली कोर्ट (एफसी) के 2016 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एक व्यक्ति को तलाक देने से इनकार कर दिया गया था, जिसने दावा किया था कि उसकी पत्नी मिर्गी से पीड़ित थी, जिसे उसने एक लाइलाज बीमारी करार दिया था। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। पति ने आरोप लगाया था कि मिर्गी के कारण उसकी पत्नी असामान्य व्यवहार करती थी और आत्महत्या करने की धमकी भी देती थी, जिसके कारण शादी टूट गई। उस व्यक्ति ने एफसी के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।


स्थिति न तो लाइलाज बीमारी है और न ही इसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(d) के तहत आधार बनाते हुए मानसिक विकार या मनोरोगी विकार माना जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है: "हमारी यह भी राय है कि इस तिथि तक प्रचुर मात्रा में चिकित्सीय साक्ष्य मौजूद हैं कि ऐसी चिकित्सीय स्थिति किसी भी याचिकाकर्ता के इस रुख को उचित नहीं ठहरा सकती है कि यह स्थिति पति-पत्नी के एक साथ रहने में बाधा बनेगी।" अधिनियम की धारा 13 (1)(d) तलाक के लिए आधार के रूप में मानसिक अस्वस्थता प्रदान करती है।

पीठ ने कहा कि व्यक्ति यह साबित करने में विफल रहा कि उसकी पत्नी मिर्गी से पीड़ित थी या यदि वह ऐसी स्थिति से पीड़ित थी, तो इसे विवाह विच्छेद के फैसले का दावा करने का आधार माना जा सकता है। साथ ही, महिला का इलाज करने वाले न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा था कि मिर्गी एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें इससे पीड़ित व्यक्ति सामान्य

जीवन जी सकता है और वर्तमान मामले में पत्नी केवल मस्तिष्क दौरों से पीड़ित थी, पीठ ने कहा। पुरुष के वकील विश्वदीप मटे ने कहा कि मिर्गी के कारण महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई और उक्त विकार के प्रकट होने से याचिकाकर्ता के लिए महिला के साथ रहना असंभव हो गया।

हालाँकि, पत्नी की वकील ज्योति धर्माधिकारी ने कहा कि उनकी मुवकिल का इलाज चल रहा था क्योंकि वह 'चक्कर' से पीड़ित थी, जिसे वास्तव में दौरों के रूप में निदान किया गया था, जिसके लिए उसे मिर्गी-रोधी दवा दी गई थी। व्यक्ति के दावों का खंडन करते हुए, धर्माधिकारी ने कहा कि वास्तव में, महिला को उक्त बहाने से उसके घर से बाहर निकाल दिया गया था, जबकि वह उसके साथ रहना चाहती थी। उसने यह भी कहा कि उसने शादी से पहले उस आदमी को बताया था कि उसे दौरों पड़ते हैं। उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि चूंकि व्यक्ति मिर्गी की बीमारी को साबित नहीं कर सका, इसलिए प्रतिवादी की चिकित्सीय स्थिति के कारण क्रूरता या मानसिक यातना का शिकार होने का उसका दावा 'पूरी तरह से बिना किसी आधार के' होगा।

आईएमडी ने आज मुंबई, रत्नागिरी में भारी बारिश की भविष्यवाणी की... अलर्ट जारी



भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 28 सितंबर के लिए रत्नागिरी के लिए नारंगी और मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों के लिए पीला अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में कहा, "गुरुवार को रत्नागिरी के अलग-अलग स्थानों पर आंधी, बिजली और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।" मौसम विभाग ने मुंबई और पालघर के एक या दो स्थानों पर बिजली गिरने और तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे) के साथ आंधी की भविष्यवाणी की है। इसमें कहा गया, "ठाणे और रायगढ़ के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश और गरज के साथ बिजली गिरी।"

इससे पहले बुधवार को आईएमडी ने घोषणा की थी कि 25 सितंबर से देश से दक्षिण-

पूर्वी मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल हो रही हैं। एएनआई से बात करते हुए, आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि दक्षिण-पूर्व मानसून की वापसी में लगभग 8 दिनों की देरी हुई है। इससे पहले मंगलवार को आईएमडी ने कहा था कि अगले दो से तीन दिनों में उत्तर-पश्चिम और आसपास के पश्चिमी भारत के कुछ और हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। भारत में तीन फसल ऋतुएं होती हैं - ग्रीष्म, खरीफ और रबी। जून-जुलाई के दौरान बोई गई और अक्टूबर-नवंबर में काटी गई फसलें खरीफ हैं। आईएमडी के आंकड़ों से पता चलता है कि 1 जून के बाद से भारत में कुल बारिश सामान्य 853.4 के मुकाबले 6 फीसदी कम यानी 805.3 मिमी रही है।